भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2109** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

एमएससी एल्सा-3 का डूबना

†2109. श्री सेल्वाराज वी :

श्री सुब्बारायण के :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 25 मई को विझिनजम बंदरगाह से कोच्चि जाते समय लाइबेरियाई ध्वज वाले जहाज एमएससी एल्सा-3 के थोट्टापल्ली (अलप्पुझा) स्पिलवे के पास डूबने की घटना का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस घटना के पर्यावरणीय और आर्थिक परिणामों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या रहे; और

(ग) इससे हुई पर्यावरणीय और सामुद्रिक क्षतियों और हानियों के लिए शिपिंग कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): भारत सरकार को लाइबेरियाई ध्वज वाहक पोत एमएससी एल्सा-3 के डूबने की घटना की जानकारी है, जो 25.05.2025 को अलप्पुझा तट से लगभग 13 समुद्री मील दूर डूब गया था। केरल सरकार ने यह सूचित किया कि मत्स्यपालन संबंधी संसाधनों और मछुआरों की आजीविका पर पड़ने वाले पारिस्थितिकी प्रभाव तथा इन दोनों के संरक्षण के लिए किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने के लिए 28 मई, 2025 को आईसीएआर-केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), आईसीएआर-केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), केरल मत्स्यपालन एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय (केयूएफओएस) के वैज्ञानिकों तथा मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। तदनुसार, 19.06.2025 को परिदृश्य की समीक्षा करने और मानक प्रोटोकॉलों के अनुसार जल, और मत्स्य की आवश्यक सैंपलिंग और टेस्टिंग करने के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा केयूएफओएस, सीएमएफआरआई, सीआईएफटी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

खाद्यय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन, और तटीय पुलिस के प्रतिनिधियों से समन्वय समिति गठित की गई। जांच (टेस्ट) रिपोर्टों से पता चला कि मत्स्य के सभी नमूने सही दशा में थे, और इसमें कोई आपत्तिजनक दुर्गंध या स्वाद नहीं पाया गया, और पीएच, लवण्यता और जल के नमूनों की सुचालकता सामान्य रेंज में थी। जल और मत्स्य के प्रारंभिक विश्लेषण से यह पता लगा कि इनमें तेल का कोई लेश या तेल की मात्रा नहीं थी, खतरनाक रसायन होने को सिद्ध करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था और यह कि एर्नाकुलम, अलाप्पुझा और कोल्लम आदि के तट से मत्स्य के लिए गए नमूने उपभोग के लिए सुरक्षित थे। यह भी सूचित किया गया है कि केरल के पर्यावरण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) को बहुक्षेत्रीय क्षति आकलन और प्रभाव के अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

दावों को प्राप्त करने उन पर कार्रवाई करने को सुगम बनाने के लिए, जलयान के संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पीएंडआई) बीमाकर्ता, मैसर्स नॉर्थ स्टैंडर्ड पी एंड आई क्लब के माध्यम से जलयान मालिक द्वारा दावा डेस्क स्थापित किए गए हैं।

*****